

2022/511

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

देवीलाल

बनाम

श्री. देवीलाल

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 337/2022

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती देवीलाल

पिता श्री किशनलाल सिंगी

निवासी- 2 भग्गुपुरा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सांभरी

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1475/918

1480/919

कुल कीता 2 कुल रकबा 1.0100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

सांभरी

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर 1475/918, 1480/919

कुल कीता 2 रकबा 1.0100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=00 रूपये अक्षरे एक हजार रुपय प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली लाना प्राप्ति पर पेश हो।



(श्याम सुन्दर किशनोई)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)